Result Mitra Daily Magazine

असम का नया कानून

➢ हालिया संदर्भ :

- असम विधानसभा ने हाल ही में असम अनिवार्य मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण विधेयक 2024 पारित किया है।
- यह एक प्रस्तावित कानून है, जिसका उद्देश्य बाल विवाह और दोनों पक्षों की सहमति के बिना विवाह को रोकना तथा बहु-विवाह की जाँच करना है।

➢ निरस्त कानून :

- असम में मुसलमानों के बीच विवाह और तलाक का पंजीकरण असम मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण एक्ट, 1935 के तहत हो रहा था, जिसे निरस्त कर दिया गया है।
- यह एक्ट मुस्लिम पसर्नल लॉ के जैसा ही है, जिसमें मुस्लिमों के विवाह एवं तलाक को पंजीकृत करने का अधिकार राज्य को किसी ऐसे व्यक्ति को देना पडता था, जो मुस्लिम है।

Result Mitra

- इस प्रकार के मुस्लिम रजिस्ट्रार या काजी की संख्या 95 थी एवं लोक सेवक माना जाता था।

➢ सरकार का तर्क :

- मार्च 2024 में सरकार ने 1935 के एक्ट को निरस्त करने के लिये अध्यादेश को अधिसूचित किया, तब से असम में मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण से संबंधित कोई कानून नहीं है।
- 29 अगस्त को विधानसभा ने अध्यादेश को बदलने के लिये असम निरसन विधेयक, 2024 पारित किया।
- 1935 का अधिनियम नाबालिगों के बीच विवाह के पंजीकरण की अनुमति देता था, जिस आधार पर सरकार ने इसे निरस्त कर दिया।

➢ नए कानून की विशेषताएँ :

- नया कानून दो मुस्लिम व्यक्तियों (स्त्री-पुरूष) के बीच विवाह को विनियमित करता है, जिसमें ऐसे रीति-रिवाज भी शामिल है, जिसके तहत पति-पत्नी बनाया जाता है।
- नए कानून में काजी की कोई भूमिका नही है। विवाह एवं तलाक पंजीकरण के लिये एक रजिस्ट्रार होगा।
- नए कानून के तहत विवाह पंजीकृत किए जाने के लिये 7 शर्तें पूरी होनी चाहिये, जिसमें से महत्वपूर्ण शर्त निम्न है :-

1. विवाह के समय महिला की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं पुरूष की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिये।
2. विवाह दोनों पक्षों की सहमति से होना चाहिये।
3. अधिकारी के पास पंजीकरण का आवेदन देने से पहले कम-से-कम एक पक्ष 30 दिन पहले से रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार वाले जिले में निवास कर रहा हो।

Result Mitra

4. दोनों पक्षों को रजिस्ट्रार को पंजीकरण से न्यूनतम 30 दिन पूर्व विभिन्न प्रमाण-दस्तावेजों के साथ नोटिस देना आवश्यक है। यह प्रावधान विशेष विवाह एक्ट, 1954 के समान है।

➢ अन्य प्रावधान :

- कानून में वर्णित किसी भी शर्त के उल्लंघन के आधार पर विवाह पर आपत्ति 30 दिनों के भीतर स्वीकार किया जा सकता है, जिसकी जाँच रजिस्ट्रार द्वारा की जाएगी।
- यदि जाँच के बाद रजिस्ट्रार विवाह को संपन्न करने से इंकार करता है तो पक्ष जिला रजिस्ट्रार एवं बाद में विवाह के रजिस्ट्रार जनरल के पास अपील कर सकता है।
- यदि पंजीकरण अधिकारी को पता लगता है कि दोनों पक्षों में से कोई भी नाबालिग है तो उसे तुरंत बाल विवाह निषेध एक्ट, 2006 (केन्द्रीय कानून) से संबंधित अधिकारी को जानकारी भेजनी चाहिये ताकि उस पर उचित कानूनी कारवाई हो सके।
- यदि कोई अधिकारी जान-बूझकर या स्वेच्छा से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने वाले विवाह को पंजीकृत करता है तो उसे 1 वर्ष की कैद या रूपये 50,000 का जुर्माना हो सकता है।

➢ मुस्लिम पर्सनल लॉ से तर्कसंगत :

- प्रस्तावित कानून में कहा गया है कि इसके प्रावधान मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे एवं उनका उल्लंघन नहीं करेंगे लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत यौवन प्राप्त कर लेने की स्थिति (सबूत के अभाव में 15 वर्ष) में पक्षों को विवाह के लिये वैध माना जाता है।
- अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की उस याचिका पर सुनवाई करने की सहमति जताई थी, जिसमें पूछा गया था कि

Result Mitra

बाल विवाह की अनुमति देने वाला मुस्लिम पर्सनल लॉ, बाल विवाह निषेध एक्ट, 2006 पर प्रभावी होगा या नहीं।

- अब तक विभिन्न उच्च न्यायालयों ने इसके संबंध में अलग-अलग टिप्पणियाँ की है।

➢ अध्यादेश :

- राज्यपाल अनुच्छेद-213 के तहत अध्यादेश को अधिसूचित करता है, जबकि राष्ट्रपति के पास यह अधिकार अनुच्छेद-123 के तहत प्राप्त है।
- अध्यादेश की अधिकतम समय-सीमा 6 महीने की होती है और यदि इस दौरान राज्य विधानसभा (यदि विधान परिषद है तो उसके द्वारा भी) एवं केन्द्रीय अध्यादेश के मामले में राज्यसभा एवं लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो यह अन्य एक्ट के तरह ही सदा के लिये प्रभावी हो जाता है।
- यदि अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाता है, (6 महीने के बाद) तब भी पूर्व में उसके द्वारा किये गये कार्य वैध बने रहेंगे।

Result Mitra